निरी0आ0 सं0 112 /टा0फो0नैनी0/मार्ग/2014–15

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु चयनित 12.330 हे0 वन भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावनाः–

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांकः 3438/1C, दिनांकः 09.12.2014 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.12.2014 को कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि श्री एस0सी0पाण्डे, सहायक अभियन्ता एवं श्री मनोज कुमार महतोलिया, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

स्थितिः–

प्रस्तावित मोटर मार्ग, हल्द्वानी बाईपास मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर हल्दूचौड में स्थित इण्डियन ऑयल डिपों के निकट तक बनाया जाना है। प्रस्तावित स्थल का प्रारम्भिक बिन्दू हल्द्वानी बाईपास पर, तीनपानी से लगभग 01 किमी0 की दूरी पर मोटर मार्ग के दक्षिण–पूर्वी किनारे पर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के उत्तर–पूर्व व दक्षिण–पूर्व की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग है। स्थल के दक्षिण–पश्चिम की ओर इण्डियन ऑयल का पैट्रोल पम्प स्थित है तथा स्थल के उत्तर–पश्चिम की ओर हल्द्वानी बाईपास मोटर स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण 45^0–225^0 है। प्रारम्भिक स्थल पर प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण 130^0–310^0 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का सम्पूर्ण समरेखण आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्र में कृषि भूमि तथा कुछ आबादी वाले क्षेत्र हैं। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग, ग्राम हाथीखाल उत्तर, हाथीखाल दक्षिण, खत्ता बंगर, किशनपुर सकुलिया, बकुलिया, जग्गी, खड़कपुर, बेरीपड़ाव, हिम्मतपुर, हल्दूचौड़ दौलिया, हल्दूचौड़ जग्गी, हाडाग्राम, देवरामपुर, दौलिया नं0–01 तथा बच्ची धर्मा से होकर बनाया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर पूर्व में ही एक कच्चा मार्ग निर्मित है जिसका चौड़ीकरण कर पक्का मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर 09 मीटर चौडाई का मार्ग निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लगभग सम्पूर्ण समरेखण में पूर्व की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग अवस्थित है जिसमें स्वस्थानिक प्रजाति के वृक्ष तथा झाड़ियां आदि विद्यमान हैं तथा मोटर मार्ग के पश्चिम की ओर स्थित भूभाग आबादी वाला भूभाग है जिसमें कुछ भूभाग को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु लगभग 700 छोटे व बड़े वृक्षों को काटा जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, 13.700 किमी0 लम्बाई के प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 12.330 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

आवेदित स्थल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं0 **53 O/12** के अन्तर्गत स्थित है। प्रस्तावित मार्ग का उत्तर की ओर स्थित प्रारम्भिक बिन्दू समुद्र तल से लगभग 385 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षांश व देशान्तर पर स्थित हैः–

उत्तर 29^0 10′ 38.1″ अक्षासं
पूर्व 79^0 31′ 39.9″ देशान्तर

प्रस्तावित मार्ग का दक्षिण की ओर इण्डियन ऑयल डिपो के निकट स्थित अंतिम बिन्दू समुद्र तल से लगभग 282 मीटर की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षांश व देशान्तर पर स्थित है:–

उत्तर 29^0 05′ 27.9″ अक्षासं
पूर्व 79^0 31′ 16.2″ देशान्तर

भूगर्भीय संरचना :–

प्रस्तावित स्थल पर स्वस्थानिक चट्टाने दृष्टिगोचर नही होती है। स्थल की सतह पर मोटे कणो वाली भूरे रंग की मृदा के साथ कोबेल व पैबल के मिश्रण का मोटा आवरण है। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रंखला के दक्षिणी भाग मे स्थित बाहय हिमालय के गिरीपाद मे स्थित है जो हिमालय पर्वत श्रंखला से निकलने वाली गोला नदी व अन्य नदियों द्वारा कालान्तर मे अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर निक्षेपित होकर कठोर हुये भाग से निर्मित हुआ प्रतीत होता है। प्रस्तावित स्थल भाबर–तराई के मध्य अवस्थित है जिसमे भाबर–तराई क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना व्याप्त है। स्थल के पूर्व की ओर लगभग 01 किमी0 की दूरी पर गोला नदी स्थित है जिसका समरेखण तथा बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। प्रस्तावित स्थल गोला नदी के जलोढ़ पंख क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। स्थल पर ढलाने दृष्टिगोचर नही होती है तथा स्थल लगभग समतल है जबकि क्षेत्रीय स्तर पर स्थल व स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र मे सामान्य ढ़लाने उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। मोटर मार्ग समरेखण के अन्तर्गत तथा स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में कोई प्राकृतिक नाला आदि नही पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नही होते है। स्थल वर्तमान में स्थिर प्रतीत होता है।

सुझाव एवं शर्तें:–

प्रथम दृष्टया निरीक्षण के दौरान वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नही आया जिससे कि मार्ग निर्माण से भूखण्ड को कोई खतरा उत्पन्न हो, तथापि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से मार्ग का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:–

1. मार्ग के सम्पूर्ण समरेखण में स्थित उबड खाबड भूभाग में समतलीकरण किया जाना होगा स्थल पर पूर्व की ओर स्थित, स्थल से कम ऊंचाई वाले भूभाग मे मार्ग निर्माण करते समय सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक होंगे।
2. मार्ग समरेखण के अन्तर्गत पड़ने वाले नाले पर कोजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होगें।
3. मार्ग निर्माण हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग नही किया जाना होगा।
4. मार्ग कटान के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाये जिससे कि पर्यावरण को कोई क्षति न पंहुचने पाये।
5. मार्ग निर्माण के दौरान नालियों का निर्माण कर पानी के निकास की उचित व्यवस्था की जानी होगी।
6. स्थल पर यथासम्भव कटान/भरान किये गये भाग में व्हीपहोल युक्त मजबूत धारक दीवारों का निर्माण किया जाये ताकि नये भूस्खलन क्षेत्र उत्पन्न होने की सम्भावना को कम किया जा सके।
7. स्थल पर मार्ग का निर्माण कार्य, वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त ही किया जाना होगा।
8. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अनुपालन किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त सुझावों के अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल, भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। उचित होगा कि कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित स्थल पर मार्ग के निर्माण करते समय उपरोक्त सुझावों एवं शर्तो का पूर्णतया अनुपालन किया जाये। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त सुझावों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

(लेख राज)
सहायक भूवैज्ञानिक